



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 97-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 10, 2020 (ASADHA 19, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जुलाई, 2020

संख्या 12/83/2020-3परि०(1).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/1/2017-6टी० (1), दिनांक 19 अप्रैल, 2017 पर विचार किए बिना, हरियाणा राज्य में लॉकडाउन अवधि अर्थात् 24 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के दौरान उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट किए गए किसी प्रशम्य अपराध, जहाँ पुलिस विभाग द्वारा वाहन का चालान किया गया है/परिबद्ध किया गया है, किन्तु कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में विनिर्दिष्ट राशि के लिए उक्त अनुसूची के खाना 2 में वर्णित वाहनों के प्रवर्ग के लिए सम्बद्ध सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकमुस्त उपाय के रूप में प्रशमित होगा, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	वाहन का प्रवर्ग	प्रशमन फीस (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	दुपहिया	500/- या संबंधित धारा के अधीन जुर्माना राशि, जो भी कम हो।
2.	कार, जीप	1000/- या संबंधित धारा के अधीन जुर्माना राशि, जो भी कम हो।
3.	परिवहन वाहन	2000/- या संबंधित धारा के अधीन जुर्माना राशि, जो भी कम हो।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TRANSPORT DEPARTMENT****Notification**

The 10th July, 2020

No. 12/83/2020-3T (I).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Governor of Haryana hereby directs that irrespective of the Notification No. 13/1/2017-6T (I), dated the 19th April, 2017 any compoundable offence, as mentioned in the said section, committed during lock down period in the State, with effect from the 24th March, 2020 to the 31st May, 2020, where the vehicles have been challaned/impounded by the Police Department but no First Information Report has been registered, shall be compounded as a one time measure by the Secretary, Regional Transport Authority concerned for the category of vehicles mentioned in column 2 of the following Schedule for the amount specified in column 3 of the said Schedule :—

Schedule

Sr. No.	Category of vehicle	Compounding fee (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Two wheeler	500 or the fine amount under the relevant section, whichever is less.
2.	Car, Jeep	1000 or the fine amount under the relevant section, whichever is less.
3.	Transport Vehicle	2000 or the fine amount under the relevant section, whichever is less.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.